-17- (5)

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः–प–14(3)जविप्रा/संस्था/11 पार्ट–V    दिनाँक 6-7-2016

## : सूचना :

अचल सम्पति विवरण सार्वजनिक करने बाबत प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक(क–1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक प–15(75)का./क–1/गो.प्र./2011 दिनाँक 18.07.2011, 31.01.2012, 08.04.2013, 02.01.2014, 25.06.2014, 16.12.2014 एवं 12.02.2015 में **राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही उन्हें आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने के लिए निर्देशित किया गया था** जिसकी सूचना प्राधिकरण द्वारा दिनाँक 21.07.2011, 09.05.2012, 07.05.2013 एवं 03.07.2015 को जारी की गयी है:–

1. राज्य सेवा अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण कार्मिक(क–1/गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रस्तुत किया जावे।
2. अधिनस्थ सेवाओं के सभी राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अपने संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत किया जावे।
3. निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सभी राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों(जिनकी ग्रेड पे 4200 रूपये या अधिक है) द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अपने निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावे।

अतः उक्त के क्रम में पुनः सूचित किया जाता है कि कार्मिक(क–1)/(गो.प्र.) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनाँक 31.01.2012 एवं परिपत्र दिनाँक 02.01.2014 अनुसार बिन्दु संख्या–1 व 2 के अधिकारी निर्देशानुसार अपनी अचल सम्पति विवरण संबंधित कार्यालय/विभागाध्यक्षों तथा बिन्दु संख्या–3 के अन्तर्गत आने वाले प्राधिकरण सेवा के अधिकारी अचल सम्पति विवरण अविलम्ब उपायुक्त–जांच(गोपनीय प्रतिवेदन प्रकोष्ठ), जविप्रा को प्रस्तुत कर उसका पृष्ठांकन उपायुक्त(प्रशासन) को करेंगे।

(ओ.पी.बुनकर)
अति.आयुक्त(प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, वन संरक्षक, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, पीठासीन अधिकारी, अपीलीय अधिकरण, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–1/2, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक(अभियांत्रिकी–I/II/आयोजना/विधि/वित्त), जविप्रा, जयपुर।
7. अति.आयुक्त(प्रशासन/पूर्व/पी.आर.एन./पुनर्वास/एलपीसी/परिवहन/भूमि एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता ................., जविप्रा, जयपुर।
9. संयुक्त आयुक्त(संसाधन विकास एवं समन्वय/सिस्टम्स मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर।
10. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(बीपीसी/एम.पी.), जविप्रा, जयपुर।
11. मुख्य नियंत्रक(प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
12. समस्त अधीक्षण अभियंता ................ जविप्रा, जयपुर।
13. समस्त वरिष्ठ नगर नियोजक ................जविप्रा, जयपुर।
14. विशेषाधिकारी(आर.एच./कार्मिक), जविप्रा, जयपुर।
15. अति.निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
16. समस्त उपायुक्तगण जोन–1 से 10/वाहन/स्टोर/प्रशासन/रेकार्ड/कोर्ट केसेस, जविप्रा, जयपुर।
[illegible] उपायुक्त(जांच), जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अचल सम्पति के विवरण की सूचना कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनाँक 18.07.2011, 31.01.2012 एवं 12.02.2015 की पालना में उन्हें भिजवायें तथा राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में यह सूचना सिस्टम एनालिस्ट के माध्यम से प्राधिकरण की [illegible] पर सार्वजनिक करावें।
[illegible] उप निदेशक (व्यय एवं बजट/प्रोजेक्ट एवं आडिट), जविप्रा, जयपुर।
[illegible] पंजीयक(सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
[illegible] अधिशाषी अभियंतागण........, जविप्रा, जयपुर।
[illegible] अधिकारी, नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर।
[illegible] एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपायुक्त(जांच) द्वारा प्रेषित उक्त सूचना को प्राधिकरण की [illegible] पर सार्वजनिक करावें।
[illegible] लेखाधिकारी(भुगतान/पेंशन/आर.सी.आर.), जविप्रा, जयपुर।
[illegible] (भुगतान/पूर्व–I/II), जविप्रा, जयपुर।
[illegible] जविप्रा, जयपुर।
[illegible] जविप्रा, जयपुर।
[illegible] ...... जविप्रा, जयपुर।

(असलम शेर खान)
उपायुक्त(प्रशासन)